न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणाR.A.S.)

करण सं. 06 / 2019
र्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13
र्णय दिनांक .....
काश भागसिंह वगैराह बनाम रामजीलाल वगैराह

1. भागसिंह पुत्र सुखचंदी उम्र 50 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. हरचंदी उम्र 70 साल पुत्र विस्सी जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र बीधा जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. बुद्धा पुत्र बीधा जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. रतनसिंह पुत्र सुखचंदी जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. गिरधारी पुत्र सुखचंदी जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. प्रीती पत्नी राजवीर जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. रमेश पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. सुरेश पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. विजेन्द्र पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. महेन्द्र पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. दिगम्बर पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. कश्मीरा पुत्री रामदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. सुनहरा पुत्री रामदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई
14. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बरौली छार जरिए शाखा प्रबंधक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री अशोक कुमार एडवोकेट प्रार्थी की तरफ से

श्री फूलसिंह एडवोकेट अप्रार्थी की तरफ से

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13

निर्णय

1. यह है कि आराजी खसरा नंबर 144 रकबा 0.34 हैक्ट, 147 रकबा 0.34, 148 रकबा 0.32, 167 रकबा 0.36, 186 रकबा 0.33 वाकेग्राम चिडरउआ तहसील नदबई में स्थित है। हाल जमाबंदी वाकेग्राम चिडरउआ पेश है।

2. यह है कि उक्त आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है। जिसके बाबजूद अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थीगण सं. 1 व 2 व अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 12 के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरीटीए वा उनवानी रामजीलाल बनाम बुद्धा वगै0 पेश किया गया जिसमें दावा को 02.05.20216 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। जिसमें प्रार्थीगण भागसिंह व हरचंदी को जो नोटिस जारी किए गए उस पर किसी दिनेश के पुत्र बताया है, के फर्जी व बनावटी हस्ताक्षर कराए तथा भागसिंह के नोटिस पर भी रतनसिंह के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार प्रार्थीगण की प्रोपर तामील न कराकर प्रार्थी को बिना कोई सूचना दिए गुपचुप तरीके से प्रार्थीगण की एक्सपार्टी कर दी गई है। तथा केवल वादी की सहमति से ही एक पक्षीय पीडी जारी कर दी गई तथा पटवारी हल्का ने भी मौके पर न जाकर घर बैठकर ही मौका रिपोर्ट वादी रामजीलाल व प्रतिवादी बुद्धा जो कि भाई है से मिलकर कुर्रा रिपोर्ट बनाकर न्यायालय के समक्ष पेश कर दी । कुर्रा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व हल्का पटवारी ने न तो प्रार्थीगण को कोइ सूचना दी न ही कोई उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किया तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 बुद्धा से मिलकर चुपचाप व गुपचुप तरीके से प्रार्थी के कब्जे व मनवट की आराजीयात को अपने अपने कुरा में अंकित करवाकर मुताबिक कुरा रिपोर्ट फाइनल डिक्री दिनांक 11.04.2019 को जारी कर दी गई। जिसमें मुताबिक उक्त डिक्री की मुताबिक इन्द्राज भी हो गए जबकि प्रार्थी को न्याय के सिद्धान्त के तहत विधिवत तरीके से सूचना देकर सुना जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

3. यह कि प्रार्थीगण को उक्त डिक्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी लेकिन दिनांक 03.07.2019 को जब हल्का पटवारी मय टीम मौके पर प्रार्थी के कब्जे काश्त व मनवट की आराजीयात पर पैमाईश हेतु पहुंचा तो प्रार्थीगण द्वारा पूछने पर हल्का पटवारी ने यह बतलाया [illegible] पर पैमाईश हेतु पहुंचा तो प्रार्थीगण द्वारा पूछने पर हल्का पटवारी [illegible] बतलाया कि उक्त आराजीयात का विभाजन न्यायालय [illegible] कर दिया [illegible] उक्त डिक्री के बारे में जानकारी की तो प्रार्थी को [illegible] के खिलाफ एकपक्षीय डिक्री जारी की गई [illegible] प्रार्थी को दिनांक 03.07. 2019 को धमकी दी कि वह उक्त एकपक्षीय आदेश के आधार पर प्रार्थीगण को बेदखल कर देंगे। उसके लिए प्रार्थीगण एडवोकेट क्लर्क बृजभूषण तिवारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

जरिए उक्त प्रकरण रामजीलाल बनाम बुद्धा के फैसले व डिक्री की नकल प्राप्त की तथा प्रार्थी को एकपक्षीय डिक्री के बारे में ज्ञान हुआ इसलिए अब बिना किसी देरी के प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 न्यायालय में पेश है।

4. यह है कि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय डिक्री दिनांक 11.04.2019 व उनवानी रामजीलाल बनाम बुद्धा को अपास्त किए जाकर प्रार्थीगण को सुना जाकर तथा समुचित साक्ष्य का मौका देकर ही प्रकरण को तय किए जाने के आदेश पारित करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 13 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री फूलसिंह एडवोकेट एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से धर्मवीर एडवो0 उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण स. 1 व 2 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

1. यह है कि मद संख्या 01 प्रार्थना पत्र के अनुसार आराजी वर्णित वाके ग्राम चिडरउआ तहसील नदबई में स्थित होना स्वीकार है।
2. यह कि मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार वर्णित किया है स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बंटवारा का दावा रामजीलाल बनाम बुद्धा प्रस्तुत किया था जिस पर दावा दिनांक 02.05.2016 को दर्ज करने के प्श्चात प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने के पश्चात प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 1 भागसिंह के स्थान पर उसके भाई रतनसिंह ने प्राप्त किया जो उक्त वाद पत्र में पक्षकार था तथा इस प्रार्थना पत्र में भी पक्षकार अप्रार्थी संख्या 3 गिरदाना गया है। तथा आराजी मुतनाजा के हिस्सेदार है इसके अलावा प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 2 हरचंदी का सम्मन उसके पुत्र दिनेश ने प्राप्त किए इस प्रकार प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा ही प्रोपर तामील हो चुकी थी परन्तु प्रतिवादीगण /प्रार्थीगण जानबूझकर हाजिर अदालत नहीं आए लिहाजा दिनांक 19.09.2016 को उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी इसके बाद हल्का पटवारी तहसीलदार द्वारा भी कुरे रिपोर्ट दिनांक 29.01.2018 को सभी की सहमति से तैयार कर अदालत में प्रस्तुत की गई थी जिसकी बाबत सभी को व प्रार्थी को पूर्ण जानकारी थी लेकिन प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण हाजिर नहीं हुए लिहाजा उक्त वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 आरटीए मुताबिक हिस्सा दोनों पक्षकारों के मध्य पृथक पृथक कुरे निर्धारित कर दिनांक 14.04.2019 को फाईनल डिक्री जारी फरमा दी थी जिसके मुताबिक दोनों पक्षकारों के हक में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात कर दिए गए लिहाजा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।
3. यह कि मद संख्या 3 प्रार्थना पत्र गलत रूप से वर्णित होने के कारण स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को पूर्व से ही उक्त मुकदमा की जानकारी जरिए सम्मन पर हाजिर होने [illegible] भाई व पुत्र द्वारा सम्मन लेने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। दु[illegible] हल्[illegible]टवारी व तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट दिनांक 29.01.18 [illegible] पूर्ण जानकारी हुई लेकिन प्रतिवादीगण/प्रार्थीग[illegible] उक्त डिक्री [illegible] आधार पर पृथक पृथक खातेदारी दर्ज होने के वक्त [illegible] की लिहाजा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।
4. यह कि प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण संख्या 1व 2 पर विधिवत रूप से उसके कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा क्रमशः भाई रतनसिंह व पुत्र दिनेश द्वारा सम्मन प्राप्त करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

सर्वप्रथम दिनांक 19.09.16 को अदालत में हाजिर होने बाबत पूर्ण जानकारी हुई लेकिन वे अनुपस्थित होने का कारण उनके खिलाफ दिनांक 19.09.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही हुई।

5. यह कि दुबारा कुरा रिपोर्ट बनाने हेतु हल्का पटवारी व तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपनी कुरा रिपोर्ट दिनांक 23.01.18 अदालत में पेश की तब प्रतिवादीगण /प्रार्थीगण को जानकारी हई।

6. यह कि हिस्सा व कुरे रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों के हक में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात होने के पश्चात प्रार्थीगण के हिस्से में मौके पर रकबा ज्यादा होने के कारण पैमाईश करने पहुंचे पटवारी हल्का वगैराह के कृत्य से प्रार्थीगण की नाराजगी होने पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो दुर्भावना का प्रतीक है लिहाजा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

7. यह कि प्रार्थीगण ने कोई प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत नहीं की है लिहाजा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रतिलिपि मुकदमा रामजीलाल बनाम बुद्वा मुकदमा संख्या 55/16 मय ऑर्डर शीट एवं दावा की प्रतिलिपि के साथ कुर्रे विभाजन प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं सम्मन की प्रतिलिपि पेश की गई।

हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस को सुना बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 वा 151 जाब्ता दीवानी के तहत पेश किया गया है, वादीगण दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. के तहत बंटवारे का पेश किया गया है। जिसमें प्रतिवादी हरचंदी के सम्मन की तलबी दिनेश को तथा भागसिंह की तामील रतनसिंह को हो गई थी। तथा दावा में दिनांक 19.09.2016 को एकतरफा कार्यवाही कर दी गई। इसके बाद वादी की सहमति के आधार पर ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई । एवं तहसीलदार नदबई द्वारा भी कुर्रे विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय न तो पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये तथा न ही पक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रे विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये । राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई । न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 11.04.2019 को अन्तिम डिक्री जारी कर दी गई। अप्रार्थी वकील के कथन रहे कि प्रार्थना–पत्र में मुख्य बिन्दू प्रतिवादी गण को सम्मन सही तामील हुआ है या नहीं । यह देखने का विषय है। हमने बहस पर मनन किया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 वा 151 जाब्ता दीवानी के तहत पेश किया गया है। तथा वादीगणों द्वारा जो दावा पेश किया गया था। उसमें प्रत्येक प्रतिवादीगण को नियमानुसार सम्मन भिजवाये गये तथा नियमानुसार ही एकतरफा कार्यवाही की गई। जिस समय कुर्रे विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये उस समय कोई आपत्ति पेश नहीं की गई थी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 व 151 जा. दी. के तहत् स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 व 151 जा.दी. के तहत् खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक .... को [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner